

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना
निशातपुरा, भोपाल-462010
दिनांक 15.11.2017

सडिपुका/भो/का/प्रशिक्षण/भर्ती/व्य.प्र.

विज्ञापन संख्या 01/2017.

अधिसूचना

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती

opening date of online application	closing date of online application
20-11-2017	19-12-2017

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ट्रेड प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा, भोपाल में एक्ट अप्रेंटिसों की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से **आनलाईन** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु **एमपीआनलाईन** पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तारीख तक आवेदन करें।

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवाईज सीटों की संख्या एवं आवश्यक योग्यता निम्नानुसार होगी-

ट्रेड का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता	आरक्षित सीटों की संख्या					प्रशिक्षण अवधि
		कुल सीटों की संख्या ट्रेड अनुसार	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
फिटर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affiliated to NCVT/SCVT)	32	16	09	05	02	01 वर्ष
फिटर(NON-ITI) (Fresher)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण	8	04	02	01	01	02 वर्ष
वैल्डर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा वैल्डर(Gas & Electric) व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	55	28	15	08	04	01 वर्ष

इलैक्ट्री शियन	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	12	06	03	02	01	01 वर्ष
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स	निर्धारित व्यवसाय (Computer Operator and Programming Assistant Trade) में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affiliated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	03	02	01	0	0	1 वर्ष
सेक्रेटेरियल असिस्टेंट	निर्धारित व्यवसाय (SECRETARIAL ASSISTANT) में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	03	02	01	0	0	1 वर्ष
कुल योग		113	57	31	17	08	

•नोट:-अधिसूचना में दर्शाये गये प्रशिक्षु सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

2.आयुसीमा-

5.1 आई.टी.आई पास अभ्यर्थी दिनांक 15.11.17. को 15 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु में होना चाहिए।

5.2 नॉन आई.टी.आई(Fresher apprentice) अभ्यर्थी दिनांक 15.11.17 को 14 से 21 वर्ष तक की आयु में होना चाहिए।

5.3 अजा/अजजा के अभ्यर्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छूट देय है। भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार छूट रहेगी।

3. फीस-आवेदन शुल्क के रूप में रु 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु 70/+ देय GST का भुगतान करना होगा। अनु.जा, अनु.ज.जा, शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क देय नहीं है। परन्तु पोर्टल शुल्क देय होगा। फीस Non-refundable होगी।

4. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व सैनिक(Ex. Servicemen), उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(MPP)2002/6/10 Dated 31.07.2006 (RBE No. 101/2006)

- शान्ति समय के दौरान उन मृत/अक्षम सहित दिवंगत/अक्षम भूतपूर्व सैनिक/ आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
- अवकाश प्राप्त सैनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
- कार्यरत जवानों/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
- कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चे
- भूतपूर्व सैनिक

5. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार केवल फिटर एवं वेल्डर में (OH)श्रेणी वाले (केवल शारीरिक आशक्त विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक) योग्य होंगे। विकलांगों के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया जायेगा। विकलांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

6. विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सीटें अलग नहीं हैं बल्कि कुल सीटों की संख्या में सम्मिलित हैं।
7. पारिश्रमिक/स्टाईफण्ड - वर्तमान प्रचलित दरों से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
8. आवेदन का तरीका- इच्छुक पात्र अभ्यर्थी www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी दोनों स्वयं का हो एवं वैध हो क्योंकि उम्मीदवार से सभी प्रकार का संप्रषण ई-मेल के माध्यम से होगा। नियमित रूप से ई-मेल आई.डी की जाँच करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
9. चयन की प्रणाली-
 - 9.1. आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त प्रतिशत के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। (अधिसूचना के अन्तर्गत आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई दोनों की अलग-अलग योग्यता सूची (Merit List) बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नहीं होगी।)
 - 9.2. 10वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों, संबंधित बोर्ड के नियम के आधार पर की जाएगी। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय का CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों के मिडपॉइंट लिया जायेगा एवं उसके औसत की गणना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 माना जायेगा।
 - 9.3. यदि दो उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हो तो उस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने पहले 10वीं कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी।
 - 9.4. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले में यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।
 - 9.5. यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटों को भी अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
 - 9.6. अपेक्षित एकट अप्रेंटिस की संख्या के 4 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा जिनकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी एवं email द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में सीट खाली रह जाती है तो 2nd round verification के लिए वरीयता अनुसार बुलाया जायेगा।
10. आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आर.डी.ए.टी कानपुर की वेबसाइट www.apprenticesip.gov.in से पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना होगा जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उम्मीदवारों की अंतिम सूचीबद्धता सड़िपुका/भोपाल के लिए प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा श्रेणी में उपयुक्त होने के बाद ही होगी।
12. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।
13. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। (Annexure-'I')

14. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। (Annexure-'II')
15. होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
16. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
17. ट्रेनिंग का करार— ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिसिप का करार करना होगा।
- 17.1 यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु/जमानतदार को अप्रेंटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के ऊपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।
18. जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
19. चिकित्सा परीक्षण— रेलवे द्वारा मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण पास हो जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जायेगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुत्तीर्ण हुआ तो उसकी शिक्षुता समाप्त कर दी जायेगी। एवं उसका कोई भी मुआवजा/कम्पनसेशन नहीं दिया जायेगा।
20. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
21. उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जावेगा।
22. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदनुसार अपनाया जायेगा।

उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रुटि हुई हो, तो सडिपुका प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन पत्र का **प्रिंटआउट, RDAT** कानपुर वेबसाइट पर पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों एवं पहचान पत्रों की मूल प्रति के बिना किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज **Verification** प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

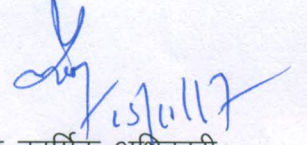
यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाइट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन आनलाईन सफलतापूर्वक भरें। यदि आनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

चयनित उम्मीदवारों की सूची पमरे की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in एवं www.mponline.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई-मेल द्वारा किया जायेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोट: उम्मीदवार अपने Online भरे हुए आवेदन का प्रिंट अवश्य अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बुलाए जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद, पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति लेकर उपस्थित होंगे।

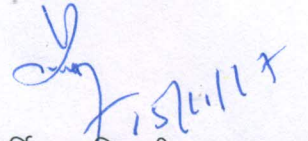
संलग्न—आवश्यक निर्देश



वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका/भोपाल

प्रतिलिपि—

महाप्रबंधक(कार्मिक) प.म.रे. जबलपुर, मण्डल रेल प्रबंधक भोपाल, कोटा, जबलपुर,
मुख्य कारखाना प्रबंधक, सडिपुका/भोपाल, मडिमका/कोटा,
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल
जिला नियोजन अधिकारी/भोपाल,
मुख्य अनुदेशक, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, सडिपुका, भोपाल
वे.से.रे.म.संघ, वे.से.रे.ए.यू., ओबीसी, एससी/एसटी एम्प्लोईज एसोशिएशन. सडिपुका/भोपाल
आर.डी.ए.टी. कानपुर।
सर्व संबंधित सडिपुका, भोपाल।
प्राचार्य, आदर्श आई.टी.आई गोविन्दपुरा भोपाल,



वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका/भोपाल

आवश्यक निर्देश

1. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करें। वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। यदि उन्हें यह सन्तुष्टी है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो ही वे एमपीआनलाईन के माध्यम से आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है। वह इसे पूर्ण रूप से भरने के उपरांत Preview देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिए Reset option उपलब्ध है। फार्म Submit करने के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित की जाएगी जिसे नोट कर लें। भरे हुए आवेदन का Print out निकालकर अपने रिकार्ड और इस कार्यालय के भविष्य के प्रयोग के लिए अवश्य संभाल कर रखें। यह भी नोट करें कि एक बार Submit option क्लिक करने के बाद आवेदक अपने बायोडाटा का Preview या Reset नहीं कर सकता है।

1. फोटो और हस्ताक्षर दिये गये फॉर्मेट पूर्ण कर स्कैन करें, परन्तु इस **JPEG** इमेज का साइज 150-200KB से अधिक न हो। फोटो नवीनतम होना चाहिए।
2. आवेदक का अपना बायोडेटा और अपने पिता के नाम के अंग्रेजी में वह **spellings**, जो कि उसके प्रमाण पत्रों में अंकित हो। 10वी,आई.टी.आई,आधार कार्ड में स्वयं का एवं पिता का नाम समान होना चाहिए।
3. आवेदक के क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड।
4. मोबाईल नं., ई-मेल आईडी दोनों स्वयं का होना चाहिए एवं वैध होना चाहिए।
5. दो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।
6. CBSE बोर्ड से पास हुए उम्मीदवारों को दसवीं में प्राप्तांक को **CGPA** से formula के तहत प्रतिशत में बदल कर भरना होगा।
7. आई.टी.आई पास उम्मीदवार को सभी सेमेस्टर्स में प्राप्त अंको के कुल प्राप्तांक दर्शाना आवश्यक होगा। यदि उम्मीदवार किसी भी एक सेमेस्टर के अंक नहीं दर्शाता है तो ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
8. अपूर्ण भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
9. सभी प्रकार के पत्राचार आवेदक के ई-मेल आईडी के माध्यम से किये जायेंगे। नियमित रूप से ई-मेल जाँचना आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- मैंने उपरोक्त दिये गये सभी निर्देश पढ़ लिये हैं एवं मैं इनसे सहमत हूँ।

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

1. This is to certify that Shri/Smt/Kum*
 Son/Daughter* of Shri /Smt
 of village /town*
 District/Division* of state/Union
 Territory* belongs to the Caste/Tribe * which is recognized as

Scheduled Caste/Schedule Tribe* under:

The Constitution (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951 [as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976].

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956.

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959 @ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962@

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order, 1964@

The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967@

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order, 1968@

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order, 1968@

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order, 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989@

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

%2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory Administration

This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/*
 Father/Mother of Shri /Smt./Kum*
 of village /town* District/Division*
 of state/Union Territory* who belongs to the
 Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in State/Union
 Territory* issued by the dated

%3. Shri/Smt/Kum* and/ or his/her * family, ordinarily reside(s) in
 village/town* of District/ Division* of the State/Union Territory* of

Signature

Designation

(With seal of office)

Place

Date

(*) Please delete the words which are not applicable

(@) Please quote specific presidential Order

(%) Delete the Paragraph which is not applicable.

Note: The term* ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe certificates:

- i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- ii. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- iii. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- iv. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Note: ST candidates belonging to Tamilnadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Annexure 'II'

The format of the certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Smt/Kum*
Son/Daughter* of Shri/Smt
..... of village /town*
..... District in State belongs to the
..... community which is recognized as backward class under
..... : (indicates Sub-caste)

- 1) Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.186 dated 13th September 1993.
- 2) Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.163 dated 20th October 1994.
- 3) Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.88 dated 25th May 1995.
- 4) Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.210 dated 11th December 1996.
- 5) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.129 dated 8th July 1997.
- 6) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.164 dated 1st Sept. 1997.
- 7) Resolution No.12011/99/94-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.236 dated 11th Dec 1997.
- 8) Resolution No.12011/13/97-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.239 dated 3rd Dec.1997.
- 9) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.166 dated 3rd Aug.1998.
- 10) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.171 dated 6th Aug.1998.
- 11) Resolution No.12011/68/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.241 dated 27th Oct.1999.
- 12) Resolution No.12011/88/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.270 dated 6th Dec.1999.
- 13) Resolution No.12011/36/99-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.71 dated 4th April 2000.

Shri/Smt/Kum* and /or his/her * family ordinarily reside(s) in the District of the State. This is also to certify that he/she* **does not belong** to the persons/sections (**Creamy Layer**) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt (SCT) dated 8/9/1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES.) dated 09.03.2004.

(*) Please delete the words which are not applicable

District Magistrate/
Dy. Commissioner Etc.
(With seal of office)

Place
Date

(*) Please delete the words which are not applicable

a. The term "Ordinarily reside(s)" used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

b. Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificate issued by Gazetted Officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient)

c. The OBC certificate from the authorities only will be accepted:-

- 1 District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)/ * Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- 2 Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- 3 Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- 4 Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.